

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3030
उत्तर देने की तारीख 13 अगस्त, 2026
22 श्रावण, 1948 (शक)

खिलाड़ियों में बढ़ते डोपिंग उल्लंघन के मामले

3030 श्री प्रमोद तिवारी :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के अध्यक्ष ने देश में बढ़ते डोपिंग उल्लंघनों को एक बड़ी चिंता का विषय बताया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एथलेटिक्स इंटिग्रिटी यूनिट (एआईयू) ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) की श्रेणी में अवनति की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निहितार्थ क्या हैं;

(घ) क्या घरेलू डोपिंग रोधी कार्यक्रम की गुणवत्ता डोपिंग के जोखिम के अनुपात में नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2020 और 2025 के बीच दर्ज किए गए डोपिंग रोधी नियम उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) खेलों की अखंडता की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

उत्तर

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) इस मामले को वाडा द्वारा प्रकाशित वार्षिक डोप-रोधी नियम उल्लंघन (एडीआरवी) रिपोर्ट के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसमें भारत सहित विश्वभर के डोप-रोधी संगठनों द्वारा सूचित डोप-रोधी नियम उल्लंघनों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित आंकड़े भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) : एआईयू ने उसकी लागू डोप-रोधी रूपरेखा के अंतर्गत एएफआई को 'क' श्रेणी में रखा है। इस श्रेणी में रखे जाने के कारण डोप-रोधी और निगरानी संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि की जाती है।

(घ) नमूना परीक्षण सहित डोप-रोधी कार्यक्रम, विश्व डोप-रोधी संहिता और नाडा नियम, 2021 के अनुरूप वैज्ञानिक आधार पर किए गए जोखिम आकलन, एथलीटों के प्रदर्शन की प्रवृत्तियों, आसूचना से प्राप्त जानकारी तथा खेल-विशिष्ट जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। नमूना परीक्षण के अतिरिक्त, नाडा डोपिंग से जुड़े जोखिमों का प्रभावी ढंग से निराकरण करने के लिए विश्व डोप-रोधी एजेंसी के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यापक डोप-रोधी शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के साथ-साथ आसूचना एकत्र करने, जाँच करने तथा परिणाम प्रबंधन संबंधी गतिविधियों का भी निष्पादन करती है।

(ङ) वर्ष 2020 से 2025 तक की अवधि के दौरान एथलीटों से संबंधित डोप-रोधी नियम उल्लंघन (एडीआरवी) के मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	एथलीटों से जुड़े एडीआरवी के कुल मामले
2020	59
2021	51
2022	130
2023	222
2024	278
2025	148

(च) सरकार ने डोप-रोधी नियम उल्लंघन (एडीआरवी) को रोकने के लिए डोप-रोधी प्रावधानों के प्रवर्तन को सुदृढ़ करने तथा एथलीटों और एथलीट सहायक कर्मियों (एएसपी) की अधिक जवाबदेही के माध्यम से डोप-रोधी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और खेल की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए अनेक उपाय किए हैं। देश में डोप-रोधी गतिविधियों के लिए विश्व डोप-रोधी संहिता के अनुरूप वैधानिक रूपरेखा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय डोप-रोधी अधिनियम, 2022 लागू किया गया है।

इस संबंध में की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

(i) नाडा द्वारा आसूचना-आधारित एवं जोखिम-आधारित डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत इन-कॉम्पिटिशन तथा आउट-ऑफ-कॉम्पिटिशन परीक्षण दोनों किए जाते हैं।

(ii) एथलीटों, कोचों, एथलीट सहायक कर्मियों तथा अन्य हितधारकों के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, लोकसंपर्क कार्यक्रमों और ऑनलाइन शिक्षण मंचों के माध्यम से नियमित डोप-रोधी शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

(iii) विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी के डोपिंग-रोधी शिक्षा एवं अधिगम (एडीईएल) मंच को बढ़ावा देना तथा फेयर प्ले गाइड और अन्य जागरूकता सामग्री सहित शैक्षिक संसाधनों का अनेक भारतीय भाषाओं में प्रसार करना, ताकि डोप-रोधी नियमों, एथलीटों के अधिकारों एवं दायित्वों, चिकित्सीय उपयोग छूट (टीयूई), खाद्य संपूरकों से जुड़े जोखिमों तथा डोपिंग के परिणामों के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

(iv) एथलीटों को औषधियों के उपयोग से पूर्व उनके प्रतिबंधित होने या न होने की स्थिति का सत्यापन करने तथा सही निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए 'नो योर मेडिसिन' (केवाईएम) मोबाइल अनुप्रयोग सहित डिजिटल टूल का प्रावधान।

(v) लक्षित सोशल मीडिया अभियानों, संवादात्मक शैक्षिक सामग्री, एथलीट-केंद्रित पहलों तथा विभिन्न डिजिटल मंचों पर डोप-रोधी जानकारी के प्रसार के माध्यम से डिजिटल जागरूकता को सुदृढ़ करना।

(vi) स्पीक अप प्लेटफॉर्म सहित गोपनीय सूचना देने की व्यवस्थाओं के माध्यम से आसूचना एवं जाँच को सुदृढ़ करना तथा डोपिंग से संबंधित गतिविधियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और उनकी जाँच करने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय को और सुदृढ़ करना।

(vii) देशभर में डोप-रोधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए डोपिंग नियंत्रण कार्मिकों, शिक्षकों तथा अन्य हितधारकों के लिए नियमित क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करना।

(viii) डोप-रोधी शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा क्लीन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ), राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना।
